न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

रामकुंवार बनाम रूपनारायण

प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 25 / 2025

03.04.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या 34 / 0.2000, 32 / 1.2200, 33 / 0.5200, 289 / 1463 / 0.0200, 290 / 0.1300, 48 / 0.2000, 816 / 0.0500, 836 / 0.0200, 42 / 0.1500, 41 / 0.0800, 39 / 0.1000, 39 / 1452 / 0.1000, वाके ग्राम नाथलवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत ना करे। तथा उक्त आराजी के किसी भी भाग को दीगर किसी को रहन बय आदि के मुन्तकिल नही करें। कोई भी दस्तावेज तहरीर व पंजीकृत नही करें। अन्त में उक्त विवादित आराजी के मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि *आराजी खसरा संख्या 34 / 0.2000, 32 / 1.2200, 33 / 0.5200, 289 / 1463 / 0.0200, 290 / 0.1300, 48 / 0.2000, 816 / 0.0500, 836 / 0.0200, 42 / 0.1500, 41 / 0.0800, 39 / 0.1000, 39 / 1452 / 0.1000, वाके ग्राम नाथलवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर* के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। उक्त आदेश उभयपक्षकारान पर प्रभावी रहेगे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 30.05.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

15/7/25 ड्यूटी तारीख से पेशी

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21/7/25 को पेश हो।

रीडर

05/8/25
पत्रा

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	23/9/25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 1/10/25 को पेश हो। रीडर 13/10/25 अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 12/11/25 पेशकार S.D.O. 12.11.25 पत्रावली पेश। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। बाद गौर बहस व अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र पर दिनांक 03.04.2025 आदेश की खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के साथ संलग्न हो। SDO

अधिकारी राजगढ़